



**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलूरु  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BENGALURU - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं.1235 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No.1235**

**वषय/Sub: फिल्टर ट्रांसफार्मर यूनिट / Filter Transformer Unit**

यह घोषित किया जाता है कि एएसआरडीसी, एचएएल, लखनऊ द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016 द्वारा उत्पाकित “फिल्टर ट्रांसफार्मर यूनिट”, पार्ट सं. 228000000 को पत्र सं.सेमिलेक/5070/टीए-1235 दिनांक 26 अक्टूबर 2006 द्वारा टी.ए.सं.1235 जारी किया गया था जो कि 31 दिसम्बर 2011 तक वैध था।

*This is to state that the “Filter Transformer Unit, bearing the Pt. No. 228000000” designed, developed and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow- 226 016, was issued with TA No. 1235 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-1235, dt 26<sup>th</sup> Oct 2006 which was valid upto 31<sup>st</sup> Dec 2011.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2012 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 दिसम्बर 2016 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे आदि को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (लखनऊ), बाराबंकी रोड, लखनऊ-226016 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र के अन्य सभी शर्तें वही रहेंगे।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> Feb 2012 based on the satisfactory performance feed back and is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2016 unless otherwise suspend, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Barabanki Road, Lucknow 226 016, three months before the expiry of type approval, with all relevant document including performance feedback, Quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.*

सं/No: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1235/1R

दिनांक/Date : 21 Feb 2012

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

21/02/12

21/02/2012

  
(डॉ. के.तमिलमणि/Dr. K.TAMILMANI)  
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguish Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)